

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं. 27/2025

जीसीएमएस नं. 2025/459

प्रार्थी:-

विरेन्द्र गोदारा पुत्र श्री धर्मराम गोदारा, निवासी पालासनी, तहसील कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. नारायणलाल चौपडा पुत्र श्री रावतमल चौपडा हाल निवासी रावत कुंज, माण्डल हाउस, लक्ष्मीनगर, पावटा बी रोड, जोधपुर
2. ग्राम पंचायत पालासनी जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।



रिव्यु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, निगरानी सं. 158/2025 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2025 को रिव्यु किये जाने बाबत।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री एस.एम. परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

निर्णय

दिनांक 24.02.2026

1. यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी सं. 158/2025 बनवान नारायणलाल चौपडा बनाम ग्राम पंचायत पालासनी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2025 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2025 को पेश किया गया है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा मिसल सं. 82/2016-17 में पट्टा बुक सं. 75 पट्टा सं. 81 दिनांक 06.07.2017 को निरस्त करने हेतु निगरानी स्वीकार की गई तथा आक्षेपित पट्टा निरस्त किया गया है।
2. रिव्यु प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा मूल पत्रावली सं. 158/2025 को मंगवाया गया। अप्रार्थी 1 नारायणलाल की ओर से श्री एस.एम. परिहार व सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।
3. रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी 1 नारायणलाल ने एक पंचायत निगरानी सं. 158/2025 राजस्थान पंचायती राज


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत इस आधार पर पेश की कि ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा मिसल सं. 82/2016-17 में दिनांक 06.07.2017 को पट्टा सं. 81 प्रार्थी विरेन्द्र गोदारा के नाम गलत जारी किया गया है। निगरानी में नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 23.10.2024 को अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् क्षेत्राधिकारिता परिवर्तन के कारण निगरानी पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को दर्ज रजिस्टर हुई एवं लगातार ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड की तलबी हेतु चलती रही। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, दिनांक 28.08.2025 को निर्णय पारित कर दिया, जिसमें प्रार्थी की ओर से उपस्थित हो रहे अधिवक्ता के अभाव में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले तथ्यात्मक बिंदु प्रस्तुत नहीं हो सके एवं विधिक त्रुटि भी प्रकरण में रही है, जिससे निर्णय रिव्यु योग्य होने से रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का यह भी कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2025 विधि विरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं निगरानी प्रार्थना पत्र के बिना जवाब के निस्तारण करने में भूल रही है। जवाब बंद करने का आदेश पारित नहीं किया गया है। विधि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। पट्टा पुराना निर्मित भवन होने के कारण नियम 145, 146 की प्रक्रिया का पालना करके जारी किया है। पपुराम पुत्र पुखराज को पूर्व में जारी पट्टे के पडौसी के रूप में प्रार्थी का नाम लिखा हुआ है। निगरानी क्षेत्राधिकारिता से बाधित थी, निगरानी विवादित तथ्यों को लेकर पेश की है, जो साक्ष्य से ही साबित हो सकते हैं। पूर्व में जारी पट्टा वैध है या नहीं? तथा उसी भू भाग पर दूसरा पट्टा जारी किया गया है? 50 वर्षों से मकान बनाकर काबिज व्यक्ति का पट्टा निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। रास्ते की भूमि हडपने एवं लूणकरण मूथा के कब्जे की भूमि पर पट्टा जारी करने का आरोप साक्ष्य से ही साबित हो सकता है, जिसका विवेचन नहीं किया गया है। नियम 148 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता, अगर त्रुटि रही है तो प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा सकता था।

अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा निगरानी सं. 158/2025 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2025 को निरस्त किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।




अपर जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जोधपुर

5. रिव्यु प्रार्थी श्री विरेन्द्र कुमार गोदारा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि दिनांक 22.07.2025, 08.08.2025, 18.08.2025, 28.8.2025 को प्रार्थी का अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ लेकिन जवाब बंद नहीं किया तथा न ही अंतिम अवसर दिया गया, फिर भी दिनांक 28.08.2025 को अंतिम फैसला कर दिया गया। धारा 97 के अंतर्गत पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञात्मक है, जिसके कारण अप्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।

निगरानी याचिका के पैरा सं. 1 में विवादास्पद तथ्यों का उल्लेख है जिन्हे रिविजन में निर्णित नहीं किया जा सकता। निगरानी में तथ्य पट्टे को अवैध साबित नहीं करते है। रिश्तेदारों के नाम पट्टा जारी करने का कथन सिर्फ जांच से साबित किया जा सकता है। प्रार्थी कब्जे के सबूत पेश कर सकता था, परंतु अवसर ही नहीं दिया गया।

प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जो **Error apparent on Record** है। आदेश के पैरा सं. 9 में पंचायत के प्रस्तावों को भी खारिज किया है, जिसकी निगरानी में कोई प्रार्थना ही नहीं की है। प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि को भी जब्त कर ली गई है, जो गलत है। प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने पर प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि सुरक्षित रहेगी।

अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

6. अप्रार्थी 1 श्री नारायणलाल चौपडा की ओर से श्री एस.एम. परिहार ने प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथनों एवं तर्कों का पुरजोर खण्डन करते हुए कथन किया कि रिव्यु का कोई आधार ही नहीं है। निगरानी में पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण रिकॉर्ड का परीक्षण करके ही पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड पर दिखने वाली कोई त्रुटि नहीं है तथा न ही प्रार्थी ने कोई नया तथ्य या नया रिकॉर्ड पेश किया है, न ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध सारवान सामग्री की अनदेखी करके आदेश पारित किया है, रिव्यु सिर्फ सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों पर ही हो सकता है एव रिव्यु के माध्यम से अपील के आधार नहीं लिये जा सकते। ग्राम पंचायत विहित प्रक्रिया अपना कर ही भूमि का विक्रय कर सकती है परंतु प्रक्रिया का उल्लंघन का तथ्य मिसल पत्रावली पर ही उपलब्ध है। अतः आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।



अपर जिला कलक्टर (प्रशासन)
जोधपुर

प्रार्थी ने रिब्यु प्रार्थना पत्र में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण, प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकने का आरोप, रिकॉर्ड पर अभिलिखित तथ्यों के विपरीत लगाया है। पत्रावली की आदेशिका अनुसार प्रार्थी की ओर से दिनांक 23.10.2024 को श्री जितेन्द्र सिंह राठौड, नरेंद्र सिंह चौहान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जितेन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित रहे। दिनांक 28.01.2025 को पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दर्ज की गई तथा दिनांक 17.02.2025 की आदेशिका अनुसार उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे। दिनांक 23.04.2025 की आदेशिका पर श्री नरेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता के उपस्थिति के हस्ताक्षर भी है। अगली तारीख 01.05.2025 को भी दोनों पक्षों के वकील न्यायालय में उपस्थित थे तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। इतने अवसर देने के बावजूद भी प्रार्थी ने कोई जवाब पेश नहीं किया तथा न ही दिनांक 01.05.2025 को पत्रावली बहस हेतु नियत करते समय कोई एतराज किया। दिनांक 23.06.2025 को भी उभयपक्ष के वकील उपस्थित थे तथा पत्रावली बहस हेतु नियत थी तथा निगरानीकार की आंशिक बहस सुनी गई। दिनांक 22.07.2025 को भी उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे। अगली तिथि 08.08.2025 नियत की गई तथा दिनांक 18.08.2025 को अंतिम बहस सुनी, जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा न्यायालय ने एकतरफा बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट पर निर्णय पारित किया है तथा ग्राम निगरानी से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन/परीक्षण करके ही तथ्यात्मक व विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।



7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा निगरानी सं. 158/2025 की मूल पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। रिब्यु से संबंधित विधि प्रावधानों एवं संबंधित न्यायिक विनिश्चयों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
8. निगरानी की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार अप्रार्थी नारायणलाल ने एक निगरानी याचिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम पालासनी की आबादी भूमि में पूर्वजों के नाम संवत् 1927 में जारी पट्टे की जायदाद आई हुई है। प्रार्थी जोधपुर में रहते हैं। सन् 2023 में अप्रार्थी ने उक्त जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 82/2016-17 एवं 81/2016-17 में क्रमशः पट्टा सं. 81 व 80, विरेन्द्र कुमार व सुनिल कुमार के नाम जारी होने का पेश किया। जबकि उस भूमि का पूर्व में ही उमाजी, पदमाजी के नाम संवत् 1927 में पट्टा जारी हो चुका था। उमाजी के पट्टे की भूमि के पास में स्थित रास्ता की भूमि एवं लूणकरण के पट्टे की जमीन पर विरेन्द्र गोदारा के नाम पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने की कार्यवाही फर्जी है। ग्राम पंचायत में पत्रावली ही नहीं है। कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज ही नहीं है। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा भी नहीं है। अप्रार्थी 2 सरपंच का रिश्तेदार है। वर्तमान सरपंच उसकी चाची है। वर्ष 2014 व 2017 में प्रार्थी ने सरपंच को आपत्ति भी पेश की थी। प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टे तथा अप्रार्थी 2 के नाम जारी पट्टे के पडौस समान है। पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया है। सरपंच को अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है। अतः पट्टा निरस्त किया जावे।

9. निगरानी याचिका दर्ज करके, ग्राम पंचायत पालासनी से पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत की मिसल का गहनता से परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि अप्रार्थी 2 के आवेदन में अंकित पडौस तथा ग्राम सेवक द्वारा तैयार किये गये नक्शों के पडौस में भिन्नता है। पत्रावली पर 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवन/गृह निर्माण होने का कोई सबूत नहीं पाया गया तथा नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने के प्रावधान का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा ही नहीं किया गया है तथा नोटिस किसके द्वारा, किस तारीख को, किन-किन मौतबिरान के समक्ष कहां चस्पा किया गया है, इसका कोई सबूत पत्रावली में नहीं पाया गया। उक्त प्रावधान की अनदेखी करने के कारण आक्षेप के लिए एक माह की न्यूनतम अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा हितबद्ध व्यक्ति/व्यथित व्यक्ति अपना पक्ष/आक्षेप प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। फिर भी ग्राम पंचायत ने आक्षेप प्राप्त नहीं होना कार्यवाही विवरण में अंकित करके विवादित पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जो नियमों के विपरीत है। मात्र दो गवाहों के बयानों के आधार पर, जिस पर बयान दर्ज करने वाले, सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। भूमि पर पुराना, निर्मित मकान के रूप में कब्जा होना मान लिया, जो गलत है।

पत्रावली पर 40-50 वर्ष पुराना निर्मित मकान/भवन होने का कोई साक्ष्य/सबूत नही होने के बावजूद भी नियम 157 (1) के तहत मात्र 200 रु की राशि लेकर गैर



sm
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कानूनी तरीके से नियमितीकरण का पट्टा जारी किया जाना पाया गया। उक्त प्रस्ताव पर सरपंच के हस्ताक्षर तक नहीं है। पुराने निर्मित भवन के रूप में कब्जा होने के समर्थन में दिया गया शपथ पत्र-विरेन्द्र गोदारा के पिता धर्मराम का ही पाया गया, जो स्वयं हितबद्ध व्यक्ति है।

ग्राम पंचायत की पट्टा बुक में उपलब्ध पट्टा सं. 81 की कार्यालय प्रति पर पट्टाधारी व सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। पट्टे की तीन परतों की जगह एक प्रति ही उपलब्ध है, पट्टा सं. 81 पर सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है। पट्टे में अंकित पड़ोस, आवेदन पत्र में अंकित पड़ोसों से भिन्न है। इस प्रकार आक्षेपित पट्टा जारी करने में नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया। गवाह धर्मराम व कुम्भाराम के शपथ पत्रों में अंकित पड़ोस, ग्राम सेवक द्वारा तैयार नक्शों के पड़ोस तथा आवेदन पत्र में अंकित पड़ोसों से भिन्न पाए गए। उक्तानुसार तथ्यात्मक अभिलेखीय स्थिति पाए जाने के कारण ही निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर आक्षेपित पट्टे को निरस्त किया गया तथा प्रार्थी को न्यायहित में यह भी स्वतंत्रता दी कि वह ग्राम पंचायत में नये सिरे से पट्टे हेतु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है तथा ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि अप्रार्थी द्वारा नया आवेदन पेश करने पर नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, आवेदन पत्र का निस्तारण करे तथा व्यथित/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत समस्त आक्षेपों का विधि प्रक्रिया अनुसार निपटारा करने के पश्चात् आक्षेपित भूमि का विक्रय करने या नहीं करने हेतु ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि निगरानी स्वीकार करने मात्र से ही निगरानीकर्ता को आक्षेपित पट्टों की भूमि पर किसी भी प्रकार के मालिकाना हक, टाइटल, स्वत्व या आधिपत्य के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे एवं निगरानीकर्ता स्वयं को साक्ष्य/सबूत से राजकीय अभिलेख से सन् 1927 में तथाकथित जारी पट्टे को साबित करना होगा।

10. उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2025 को रिव्यू करने हेतु हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-97(3) के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2025 को पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेपों का निस्तारण इस प्रकार किया जा रहा है-

(A) आक्षेप- एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 28.08.2025 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके कारण-प्रार्थी की ओर से तथ्यात्मक बिन्दु पेश नहीं किये जा सके एवं विधिक त्रुटि रही।




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उत्तर- निगरानी याचिका दिनांक 13.05.2024 को दर्ज की गई। प्रार्थी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी की ओर से दिनांक 23.10.2024 को श्री जितेन्द्रसिंह राठौड़ व नरेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। पत्रावली अपर कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर पूर्व नियत तिथि 28.01.2025 को इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई तथा 17.02.2025 को सुनवाई तिथि को उभयपक्ष के वकील उपस्थित रहे। अगली तारीख 23.04.2025 को प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित रहे जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर किए हुए है। पत्रावली की अगली तिथि 01.05.2025, 07.05.2025, 19.05.2025, 04.06.2025, 23.06.2025 को उभय पक्ष के वकील उपस्थित थे तथा निगरानीकार के अधिवक्ता की आंशिक बहस भी सुनी गई। परन्तु प्रार्थी ने जवाब पेश करने हेतु कोई अवसर नहीं चाहा। पूर्व तिथियों में अवसर उपलब्ध थे। अगली तिथि 22.07.2025 को व 08.08.2025 को उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे। अगली तिथि 18.08.2025 को अंतिम बहस सुनी गई, परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता बिना कारण अनुपस्थित रहे। दिनांक 28.08.2025 को पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मेरिट पर अंतिम निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि दिनांक 23.10.2024 से 08.08.2025 तक 12 अवसरों पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा उनके पास निगरानी का जवाब पेश करने का पर्याप्त समय उपलब्ध था, फिर अचानक दिनांक 18.08.2025 से प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकरण में उपस्थिति देना बंद किया है, जिसका कोई संतोषजनक कारण इस रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। सुनवाई की नियत तिथि को उपस्थित रहने का दायित्व पक्षकार व उसके वकील का है। प्रार्थी का यह कथन बेबुनियाद है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिए गए हैं तथा विधि प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ है। निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।



(B) आक्षेप- न्यायालय ने परिसीमा का ध्यान नहीं दिया है-

उत्तर- धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी को पेश करने की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। फिर भी यह आक्षेप प्रार्थी ने निगरानी के लम्बित रहने के दौरान पेश नहीं किया है तथा न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों का भलीभांति परीक्षण करने के बाद ही निगरानी को सुनवाई हेतु ग्रहण करके विधि सम्मत निर्णय मेरिट पर पारित किया है। यह आक्षेप रिव्यु प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु नहीं माना जा सकता। पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदक स्वयं को पुराने निर्मित भवन/गृह का साक्ष्य/सबूत पेश करना होता है,


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जों ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सबूतों/साक्ष्यों पर गहनता से विचार करने के बाद ही निर्णय पारित किया है। आवेदन के पैरा तीन में जिन आधारों का वर्णन किया है, उनका परीक्षण पूर्व में ही निर्णय में किया जा चुका है। किसी भी तथ्य को बिना परीक्षण नहीं छोड़ा गया है। ये आधार रिव्यु प्रार्थना पत्र का स्वीकार करने के लिए पर्याप्त व मान्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कौन से दस्तावेज की अनदेखी की है, इसका कोई विवरण अंकित नहीं किया है।

(C) आक्षेप— निगरानी क्षेत्राधिकारिता से बाध्य थी।

उत्तर— धारा 97 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा पारित किसी भी प्रकार के निर्णय, संकल्प, आदेश, निर्देशों इत्यादि की वैधानिकता, सत्यता एवं औचित्यता का परीक्षण, राज्य सरकार द्वारा कभी भी किया जा सकता है। निगरानी में आक्षेप यह भी है कि ग्राम पंचायत ने 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया का आक्षेपित पट्टा जारी करते समय पालन नहीं किया है। इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत से संबंधित आक्षेपित पट्टे की पत्रावलियों को मंगवाकर, रिकार्ड व पट्टे जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया की जांच की तथा जांच उपरांत पायी गई अनियमितताओं से संतुष्ट होने पर आक्षेपित पट्टा अपास्त किए हैं तथा न्यायहित में प्रार्थी को नए सिरे से आवेदन पत्र पेश करने की स्वतंत्रता भी दी है, ताकि प्रार्थी अपना पक्ष ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर सके। न्यायिक वैध रूप से जारी पट्टों को निरस्त किए बिना ही, ग्राम पंचायत में नए सिरे से आवेदन पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर सन् 1927 में कोई पट्टा जारी हुआ है तो उसकी जांच भी ग्राम पंचायत को अपने रिकार्ड से ही करके निर्णय लेना है। ग्राम पंचायत अपनी भूमि पर ही पट्टा जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय ने निगरानीकर्ता के पक्ष में सन् 1927 में जारी तथाकथित पट्टे को किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया है। बल्कि निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि निगरानी स्वीकार करने मात्र से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः क्षेत्राधिकारिता का आक्षेप आधारहीन होने से अस्वीकार है तथा यह रिव्यु प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु मान्य नहीं है।

(D) आक्षेप— रास्ते की भूमि व लूणकरण के पट्टे की भूमि हड़पने के कथन, का न्यायालय ने विवेचन नहीं किया है—

उत्तर— उक्त आरोप का परीक्षण निगरानी में करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने हेतु संधारित पत्रावली के परीक्षण से ही यह स्पष्ट हो



अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गया कि ग्राम पंचायत ने 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया है तथा पत्रावली पर 50 वर्षों से पूर्व का पुराना निर्मित भवन/गृह का निर्माण का कोई सबूत ही नहीं है, जो कि नियम 157(1) के तहत विनियमितीकरण के लिए पहली आवश्यक शर्त है। रास्ते की भूमि व लूणकरण की भूमि, पट्टे में शामिल है या नहीं, इस तथ्य की जांच ग्राम पंचायत को अपने रिकॉर्ड से करनी है। निगरानीकार ऐसा आक्षेप पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यह आक्षेप निगरानीकार का है। प्रार्थी का इस आक्षेप से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है तथा न ही इस न्यायालय ने उक्त आधार पर पट्टा खारिज किया है। अतः यह आधार रिव्यु का आधार नहीं है।

(E) आक्षेप-नियम 148 की पालना नहीं करने के आधार पर पट्टा खारिज नहीं करना चाहिए था।

उत्तर:-नियम 148 के प्रावधान आज्ञात्मक है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने एवं आपत्तियां पेश करने हेतु एक माह का न्यूनतम समय दिया जाना आवश्यक है ताकि हितबद्ध व्यक्ति/व्यथित व्यक्ति अपना पक्ष पेश कर सके तथा इसका बहुत बड़ा औचित्य यह भी है कि ग्राम पंचायत/पंचायतीराज संस्थाएं चुपके चुपके गलत कार्य नहीं कर सके तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रकरण में नियम 148 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन पाया गया तथा चुपके-चुपके ग्रामपंच ने अपने रिश्तेदारों के नाम ही भूमि के पट्टे जारी कर दिये, जिन्हे किसी भी दृष्टि से यथावत नहीं रखा जा सकता तथा पट्टे निरस्त करके, प्रार्थी को न्यायहित में नए सिरे से साक्ष्य/सबूतों के साथ आवेदन पेश करने का अवसर भी दिया गया है, जो सिर्फ अवैध पट्टे को निरस्त करके ही संभव है। इसके अतिरिक्त निगरानीकार के पक्ष में भी अगर पूर्व में कोई पट्टा, उसी भूमि का जारी हुआ है, तो ग्राम पंचायत अपने रिकॉर्ड से जांच करके, विधि सम्मत निर्णय ले सकेगी।

अतः निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है तथा यह आक्षेप रिव्यु का आधार नहीं हो सकता।

(F) रिव्यु से संबंधित माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित न्यायिक विनिश्चयों का संक्षिप्त विवरण अगले पैराज में दिया जा रहा है।

11. धारा 97(3) का मूल पाठ इस प्रकार है-

"97 (1).....

97 (2).....


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

97 (3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety day of the passing of the order under sub section (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to sub section (1) and in sub section (2), shall apply to a proceeding under this sub section.

उपर्युक्त प्रावधानानुसार राज्य सरकार स्व प्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित समय सीमा 90 दिन के भीतर पारित आदेश को रिव्यू कर सकेगा, जो अग्रं तथ्य या विधि की भूल से पारित किया गया हो या किसी सारवान तथ्य को नजरअंदाज कर पारित कर दिया गया हो तथा आदेश को रिव्यू किया जा सकेगा। रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकॉर्ड पर कोई भूल (mistake) स्पष्टतया परिलक्षित हो। नये तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका है, उन्हीं को फिर से रिव्यू किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता। रिव्यू (नजरसानी) एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी का दायरा अत्यंत सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है, जिस सीमा तक धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। उक्त विधिक स्थिति के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करना समीचीन होगा—



- A. 2005(1) RRT 545 (सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी.ई.ओ. एम.पी. व अन्य में यहां तक प्रतिपादित किया है कि "View taken in the judgement may be erroneous or erroneous view taken but cannot be a ground for review. 2007 AIR (Raj.) 73 अनुसार बिंदु जो निर्णित व सुना जा चुका है, उसका रिव्यू नहीं हो सकता।
- B. AIR 1995 SC 455 में प्रतिपादित किया है कि नजरसानी के प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकती। (2019 RBJ 217, 2017 RBJ 4967, 2014(1) RRT 16 में अनुसरण किया)
- C. 2005 RBJ(12) 290 में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया है—


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"The scope of review is very limited. It has been clearly held in catena of cases that a Judgement/Order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC, if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is a clear distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise.

D. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Parsion devi एवं अन्य बनाम Sumitri devi व अन्य (1997)8 SCC 715 में प्रतिपादित किया कि—



"Under Order 47 Rule 1 CPC, a judgement may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review under Order 47 Rule 1 CPC. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."

E. इसी प्रकार नजरसानी में गुणावगुण पर सुनवाई नहीं की जा सकती। केवल प्रत्यक्ष रिकॉर्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसके समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है—

I. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा (1979)


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

II. S. Murali Sundaram V/S Jothibai Kannan & Ors.-CA-

1167-1170/2023, निर्णय दिनांक 24.02.2023 गाननीय सर्वोच्च न्यायालय

III. पेरी कंगासरा बनाम स्मृति मदन कंगासरा- (2019)20 SCC 753

IV. Shanti Conductors (P) Ltd. V/S Assam SEB (2020)2 SCC 677

F. श्रीमती राजेश्वरी एवं अन्य बनाम श्रीमती मेहरुनिशा एवं अन्य AIR Online-2021

ALL 1614 Date 15.07.2021 के पैरा सं. 10 में 2020 SCC online SC 896 में

प्रकाशित राम साहू एवं अन्य बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य मामले में, सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय में, रिब्यू के दायरे पर गहराई से विचार किया गया तथा इस

बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के निम्न पूर्व निर्णयों पर विचार कर सिद्धांत तय किये

है- हरिदास बनाम उषा रानी बनिक-(2006)4 SCC 78, मीरा भांजा बनाम निर्मला

कुमारी चौधरी-(1995)1 SCC 170, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक

शर्मा- (1979)4 SCC 389, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगडे बनाम मिलिकार्जुन-AIR

1960 SC 137, परिशियन देवी बनाम सावित्री देवी-(1997)8 SCC 715, लिली थामस

बनाम भारत संघ-(2000)6 SCC 224, बासेलियों केथोलिकोस बनाम मोस्ट रेव

लोस. अ.-AIR 1954 SC 526, इन्दरचंद जैन बनाम मोतीलाल-(2009)14 SCC 663,

अपील नरसी ठाकरसी बनाम प्रद्युमन सिंह अर्जुन सिंह-(1971)3 SCC 844, हरिविष्णु

कामथ बनाम अहमद ईशाक-AIR 1955 SC 233, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमल

सेन गुप्ता-(2008)8 SCC 612, हरियाणा राज्य बनाम एम.पी.मोहला- (2007)1 SCC

457

G. उक्त श्रीराम साहू 2020(12) स्कूल 415 के माध्यम से समीक्षा की शक्ति का

उद्देश्य और दायरा पैरा-9 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया है-

“9. समीक्षा के दायरे की सीमा को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए धारा

114 सीपीसी के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा क्योंकि यह

समीक्षा के लिए एक मूलभूत प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति खुद को या तो डिक्री से

या न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति मानता है, जिसमें अपील की अनुमति है

लेकिन कोई अपील नहीं की जाती है या जहां किसी आदेश और डिक्री के खिलाफ

अपील का कोई प्रावधान नहीं है, वह उसी न्यायालय में डिक्री या आदेश की

समीक्षा (रिब्यू) के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 114 सीपीसी को मात्र पढ़ने

से, यह प्रतीत होता है कि धारा 114 सीपीसी के तहत समीक्षा की उक्त मूलभूत



SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

शक्ति ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में शर्त के रूप में कोई शर्त निर्धारित नहीं की है और न ही उक्त धारा ने न्यायालय पर अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में उल्लिखित निर्धारित आधारों पर ही न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, के लिए प्रार्थना पत्र, अपील की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होता है और पुनर्विचार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित निश्चित सीमा तक ही सीमित है। पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग अंतर्निहित (inherent) शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही पुनर्विचार की आड में अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।”

12. उपरोक्त निर्णयों और सिद्धांतों के अवलोकन से पता चलता है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा सीमित है। जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अयर ने नॉर्डन इंडिया कैंटरर्स (इंडिया) लि. बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल, 1980(2) एससीसी 167 मामले में ठीक ही कहा था “समीक्षा की याचिका, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चांद मांगने के समान है। इसलिए जब तक दिये गये निर्णय में स्पष्ट त्रुटि न हो, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।”

13. जैसा कि उपर चर्चा की गई है, रिब्यु के दायरे को देखते हुए, यदि रिब्यु याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता व प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का परीक्षण, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में किया जाता है, जिसमें दिनांक 28.08.2025 के आक्षेपित निर्णय का अवलोकन भी शामिल है, तो यह इंगित होगा कि निर्णय में नोट किये तथ्य/कानून के पर्याप्त प्रश्नों पर निर्णय पारित करते समय, मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया है और उन पर निष्कर्ष दिये गये हैं। प्रार्थी को पूरा अवसर देकर ही निर्णय पारित किया है। प्रार्थी ने आक्षेपित भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक पुराना गृह निर्माण व कब्जा होने का कोई तथ्य पेश नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में दी गई प्रक्रिया अपनाकर, आक्षेपित पट्टा जारी करने का कोई अभिलेख इस न्यायालय में पेश नहीं किया है।

14. चूंकि पुनर्विचाराधीन निर्णय न्यायालय द्वारा विधि के मूल प्रश्नों, प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए मेरिट पर पारित किया गया है। पुनर्विचार याचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि होना साबित/इंगित नहीं की जा सकी।




अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

15. पुनर्विचार याचिका कर्ता निगरानी की पुनः सुनवाई का प्रयास कर रहा है, जो पुनर्विचार (रिव्यू) के दायरे में नहीं आता है। विद्वान अधिवक्ता रिकॉर्ड को देखकर, कोई त्रुटि नहीं बता सके और प्रस्तुत तर्क धारा 114 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के मानकों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
16. इस नजरसानी (Review) में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, जिससे यह मामला, नजरसानी के लिए बनाये गये नियमों के तहत विचारणीय हो।
यह न्यायालय पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2025 में किसी प्रकार की सहज दृश्य त्रुटि नहीं पाता है तथा न ही कोई तथ्यात्मक व विधिक बिंदु इसमें अंतर्वलित है। फलतः यह नजरसानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।
17. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पालासनी को भेजी जावे।
18. निर्णय की प्रति मूल निगरानी याचिका में भी संलग्न की जावे तथा मूल निगरानी याचिका सं. 158/2025 की आदेशिका में भी इस रिव्यू याचिका का पेश होना तथा पारित निर्णय का उल्लेख जावे तथा इस रिव्यू पत्रावली को, मूल निगरानी याचिका सं. 158/2025 के साथ संलग्न किया जाकर, पत्रावली अभिलेखागार में पुनः लौटाई जावे।
19. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।
20. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।



यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर